


प्रताप सिंह बनाम जयपाल सिंह वगै०
मुकदमा नम्बर 75/2022
दावा बाबत खाता विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक -03.03.2025 को वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिकी किया जाता है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 235 रकबा 0.26 है० , खसरा नम्बर 906/234 रकबा 0.02 है०, खसरा नम्बर 908/565 रकबा 0.11 है० , खसरा नम्बर 909/566 रकबा 0.54 है०, खसरा नम्बर 911/568 रकबा 1.55 है० कुल कित्ता 05 कुल रकबा 2.48 है० स्थित राजस्व ग्राम बेरी तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू मे पक्षकारान को विभाजन प्रस्ताव में अंकितानुसार अलग-अलग खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पिलानी को आदेशित किया जाता है कि वह विभाजन प्रस्ताव में अंकितानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिकी का भाग रहेगा। उक्तानुसार पर्चा डिकी मुर्तिब हो।


(भावेश धनवंत)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़
सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्या:- 75/2022
प्रताप सिंह बनाम जयपाल सिंह वगै०
निर्णय दिनांक:-03.03.2025

मूल वाद में (अन्तिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 06 और 07)

भावेश धनवंत (आर.ए.एस.)

पीठासीन अधिकारी:-

राजस्व वाद संख्या :- 75/2022

निर्णय दिनांक:- 03.03.2025

प्रताप सिंह बनाम जयपाल सिंह वगै०
दावा बाबत खाता विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वादी की ओर से संदीप मान एड० की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 03.03.2025 को भावेश धनवंत, उपखंड अधिकारी सूरजगढ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :-

न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः खसरा नम्बर 235 रकबा 0.26 है०, खसरा नम्बर 906/234 रकबा 0.02 है०, खसरा नम्बर 908/565 रकबा 0.11 है०, खसरा नम्बर 909/566 रकबा 0.54 है०, खसरा नम्बर 911/568 रकबा 1.55 है० कुल किता 05 कुल रकबा 2.48 है० स्थित राजस्व ग्राम बेरी तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू राजस्थान मे तहसीलदार पिलानी से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद वादीगण डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार ही तहसीलदार पिलानी को मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 03.03.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गयी।

(भावेश धनवंत)
उपखंड अधिकारी

पदेन उपसुपुलिस कलक्टर
सुरजगढ।